रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 7, 2012/ज्येष्ठ 17, 1934
No. 146] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 7, 2012/JYAISTHA 17, 1934

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2012

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (शिकायत निवारण के लिए तंत्र की स्थापना) विनियम, 2012

फा. सं. 37-3/विधि/2012.— तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली तकनीकी संस्थाओं द्वारा प्रवेश में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा अनुचित कार्यों को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय करने एवं निर्दोष विद्यार्थियों की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र उपलब्ध करवाने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीग तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्नलिखित विनियम बनाती है, यथा :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता और प्रारंभ :

(1) इन विनियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (शिकायत निवारण के लिए तंत्र की स्थापना) विनियम, 2012 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 के अधीन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्रदान की गई अथवा अनुमोदित की गई सभी संस्थाओं पर लागू होंगे।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

(3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा :

(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

क) "अधिनियम" से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 अभिप्रेत है ;

ख) "पीड़ित विद्यार्थी" से अभिप्रेत ऐसे विद्यार्थी से है, जिसे इन विनियमों के अंतर्गत शिकायत के रूप में परिभाषित मामलों में कोई शिकायत है ;

ग) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत कोई ऐसी संस्था, चाहे वह उस नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात अभिप्रेत है, जो किसी विश्वविद्यालय से कोई अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी, पाठ्यक्रम की व्यवस्था करती है और जिसे ऐसे पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए, ऐसे विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अनुसार, सक्षम माना गया है और जो ऐसे पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले छात्रों को ऐसी अर्हता प्रदान किए जाने के लिए परीक्षा आयोजित करती है ;

घ) "परिषद्" से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है ;

ङ) "घोषित प्रवेश नीति" से अभिप्रेत शिक्षा के किसी भी पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम में प्रवेश देने हेतु बनाई गई ऐसी नीति से है, जिसे परिषद् द्वारा अनुमोदित अथवा मान्यता प्रदान की गई हो एवं संस्था द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तथा परिषद् द्वारा विर्निदिष्ट किए गए अनुसार प्रकाशित किया गया हो।

च) "शिकायतों" में पीड़ित विद्यार्थी द्वारा की गई निम्नलिखित शिकायतें शामिल होंगी, यथा :–

(i) मेरिट के आधार पर प्रवेश हेतु संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के विपरीत प्रवेश देना ;

(ii) संस्थान द्वारा अपनाई गई प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता ;

(iii) संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के अनुसार प्रवेश देने से इंकार करना ;

(iv) किसी भी व्यक्ति द्वारा उस संस्थान में प्रवेश लेने के उद्देश्य से जमा किए गए उसके दस्तावेज जैसे डिग्री, डिप्लोमा अथवा अन्य कोई और प्रमाण–पत्र अथवा अन्य दस्तावेजों को, उसकी इच्छा के विरूद्ध किसी भी अन्य पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम में अध्ययन जारी रखने हेतु उत्प्रेरित अथवा विवश करने के उद्देश्य से रोककर रखना अथवा देने से इन्कार करना, किसी भी प्रकार के शुल्क अथवा शुल्कों को अदा करने के लिए विवश करना ;

(v) संस्था की घोषित प्रवेश नीति में निर्दिष्ट शुल्क अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क से अधिक धनराशि की संस्था द्वारा मांग करना ;

(vi) प्रवेश में यथा:लागू आरक्षण नीति का उल्लघंन ;

Optimized by www.ImageOptimizer.net

(vii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक अथवा विकलांग श्रेणियों के विद्यार्थियों द्वारा की गई भेदभाव बरते जाने संबंधी शिकायतें ;

(viii) अभातशिप द्वारा अथवा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शर्तों के अंतर्गत किसी संस्था द्वारा किसी विद्यार्थी को छात्रवृत्तियों का भुगतान न किया जाना अथवा भुगतान करने में देरी करना ;

(ix) शैक्षणिक कैलेंडर में विनिर्दिष्ट समयानुसार परीक्षाओं के आयोजन में देरी करना अथवा परिणाम घोषित करने में देरी करना ;

(x) संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली अपेक्षित अथवा विद्यार्थियों से वादा की गई सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध नहीं करवाना।

(xi) प्रवेश के समय वादा की गई अथवा अपेक्षित गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने से इंकार करना ;

(xii) मूल्यांकन का अपारदर्शी अथवा अनुचित तरीका ;

(xiii) यौन उत्पीड़न सहित, विद्यार्थियों का उत्पीडन तथा शोषण ; तथा

(xiv) प्रवेश वापस लेने पर, अभातशिप द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार, शुल्क की वापसी।

छ) "शिकायत निवारण समिति" से अभिप्रेत इन विनियमों के अधीन गठित समिति से है।

ज) इन विनियमों के उद्देश्यों से "संस्था" से अभिप्रेत महाविद्यालय अथवा संस्था (जैसा भी मामला हो) से है।

झ) 'लोकपाल' (आम्बड्समैन) से अभिप्रेत इन विनियमों के खण्ड (3) के उपखण्ड (1) के अधीन नियुक्त लोकपाल (आम्बड्समैन) से है।

ञ) "तकनीकी शिक्षा" से अभिप्रेत, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 2(छ) के अंतर्गत परिभाषित शिक्षा कार्यक्रमों से है।

ट) "तकनीकी संस्था" से अभिप्रेत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम 1987 की धारा 2(ज) के अंतर्गत परिभाषित संस्था से है।

ठ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत किसी केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा या उनके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय से है और इसके अंतर्गत ऐसी संस्था भी है, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा (3) के अधीन मानित विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो।

3. शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत नियुक्ति, कार्यकाल, विमुक्ति तथा सेवा की शर्तें :

1. (i) इन विनियमों के अन्तर्गत विद्यार्थियों की शिकायतों के निवारण हेतु प्रत्येक तकनीकी विश्वविद्यालय लोकपाल (आम्बड्समैन) नियुक्त करेगा।

(ii) लोकपाल वह व्यक्ति होगा, जो न्यायधीश (जो जिला न्यायधीश के रैंक से कम का ना हो) रह चुका हो अथवा सेवानिवृत्त प्रोफेसर हो, जिसके पास कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो।

(iii) विश्वविद्यालय के प्रति लिए जाने वाले निर्णय की स्वतंत्रता के लिए लोकपाल की नियुक्ति के समय, नियुक्ति से एक वर्ष पूर्व अथवा लोकपाल के रूप में उसके कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय के साथ उसका कोई निजी संबंध, व्यावसायिक मान्यता अथवा वित्तीय हितलाभ में कोई समझौता अथवा समझौता करने के लिए यथोचित कारण संबंधी कोई विवाद नहीं होना चाहिए।

(iv) लोकपाल अथवा उनके वर्तमान परिवार का कोई सदस्य निम्नलिखित नहीं होना चाहिए:—

(क) वर्तमान तथा अतीत में विश्वविद्यालय में किसी पद पर नौकरी तथा कोई लाभ वाला पद धारण,

(ख) विश्वविद्यालय के साथ व्यक्तिगत संबंध सहित, किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण पारिवारिक, व्यावसायिक अथवा वित्तीय संबंध,

(ग) विश्वविद्यालय की प्रशासनिक अथवा शासनिक संरचना में किसी भी पदनाम वाला पद धारण।

(v) राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा अंशकालीन आधार पर, निम्नलिखित सदस्यों से बनी खोजबीन समिति द्वारा सुझाए गये तीन नामों के पैनल में से की जाएगी :—

(क) संबंधित राज्य के राज्यपाल का नामिती—अध्यक्ष

(ख) संबंधित राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों से दो कुलपति बारी—बारी से

(ग) संबंधित राज्य के निजी विश्वविद्यालयों से एक कुलपति बारी—बारी से

(घ) संबंधित राज्य का सचिव (उच्चतर तकनीकी शिक्षा)—संयोजक

(vi) केन्द्रीय तकनीकी विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति केन्द्रीय तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा अंशकालीन आधार पर, निम्नलिखित सदस्यों से बनी खोजबीन समिति द्वारा सुझाए गये तीन नामों के पैनल में से की जाएगी :—

(क) अध्यक्ष, अभातशिप— अध्यक्ष

(ख) केन्द्रीय तकनीकी विश्वविद्यालयों से एक कुलपति बारी—बारी से

(ग) संयुक्त सचिव, उच्चतर तकनीकी शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

(ग) सदस्य सचिव, अभातशिप—संयोजक

(vii) लोकपाल एक अंशकालिक अधिकारी होगा, जिसे कार्यभार ग्रहण की तिथि से तीन वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाएगा तथा वह उसी विश्वविद्यालय में एक और समयावधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

(viii) लोकपाल को प्रत्येक सुनवाई के लिए वाहन व्यय के अतिरिक्त समेकित रूप से रू0 3000 से 5000 का शुल्क दिया जाएगा।

(ix) लोकपाल को कदाचार अथवा दुर्व्यवहार के आरोपों के प्रमाणित होने पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा हटाया जा सकता है :

(x) परन्तु हटाने का कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक लोकपाल को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना देकर तथा उसको सुनवाई का उचित अवसर देकर, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो कि उच्च न्यायालय के न्यायधीश के रैंक से कम ना हो, इन आरोपों की जाँच न कर ली जाए।

2. तकनीकी संस्था के मामले में, संबद्धक विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा एक शिकायत निवारण समिति गठित की जाएगी, जिसमें संबंधित संस्था (ओं) की अवस्थिति (लोकेशन) को ध्यान में रखते हुए संबंधित तकनीकी संस्था से अथवा तकनीकी संस्थाओं के समूह से पाँच सदस्य होंगे।

4. **लोकपाल (आम्बड्समैन) की शक्तियां एवं प्रकार्य :**

(1) लोकपाल निम्न में से किन्ही भी शिकायतों को सुनने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा :–

(i) किसी विद्यार्थी द्वारा उस संस्था में उपलब्ध सभी शिकायत निवारण उपायों को प्रयुक्त करने के पश्चात, विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय अथवा उससे संबद्धता प्राप्त संस्था अथवा किसी संस्था, जैसा भी मामला हो, के विरूद्ध की गई शिकायत ; तथा

(ii) उस संस्था में विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लेने हेतु कोई भी आवेदक।

(2) उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन अथवा पुनःअंकन के लिए दिये गये आवेदनों पर लोकपाल द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक उनमें परिणामों को ठोस रूप से प्रभावित करने वाली कोई विशिष्ट अनियमितता अथवा भेदभाव बरते जाने संबंधी विशिष्ट कारण न हो।

(3) भेदभाव संबंधी शिकायतों की सौहार्दपूर्ण सुनवाई के लिए लोकपाल को यह अधिकार होगा कि वह भेदभाव संबंधी किसी शिकायत की सुनवाई के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़े वर्ग (एस.ई.बी.सी.), अल्पसंख्यक अथवा विकलांग श्रेणी से किसी व्यक्ति को अपनी सहायता के लिए अपने साथ रख सकता है।

5. **शिकायत निवारण प्रक्रिया :**

(1) प्रत्येक तकनीकी संस्था लोकपाल के निर्णयानुसार, संस्था के एक उपयुक्त पदासीन कर्मचारी के नेतृत्व में एक रजिस्ट्री स्थापित करेगी। जहाँ पर पीड़ित विद्यार्थी अथवा व्यक्ति अपनी शिकायत के निवारण हेतु आवेदन कर सकता है।

(2) स्थापित की गई इस रजिस्ट्री का पता सूचना पट्ट तथा विवरणिका सहित व्यापक तौर पर प्रचारित किया जाएगा तथा संस्था की वेबसाईट पर भी डाला जाएगा।

(3) रजिस्ट्री में आवेदन प्राप्त होने पर, इसका प्रभारी–कर्मचारी इसके बारे में लोकपाल को सूचित करेगा तथा सात दिन के अंदर इसका उत्तर देने हेतु इसकी प्रति तुरंत संस्था को उपलब्ध करवायेगा।

(4) लोकपाल शिकायत की सुनवाई के लिए तारीख निश्चित करेगा, जिसकी सूचना पीड़ित व्यक्ति को तथा संस्थान को लिखित अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से (जैसा भी संभव हो) दी जाएगी।

(5) पीड़ित व्यक्ति अपना पक्ष रखने के लिए स्वयं उपस्थित हो सकता है अथवा अधिकृत किये गये प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है।

(6) लोकपाल नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के निदेशन अनुसार शिकायत की सुनवाई करेगा।

(7) शिकायतों के शीघ्र निवारण हेतु लोकपाल प्रत्येक आवेदन की प्राप्ति के एक माह के अंदर इसका निपटारा करना सुनिश्चित करेगा।

(8) तकनीकी संस्था से यह अपेक्षा की जाती है कि वह शिकायतों के निवारण हेतु लोकपाल के साथ सहयोग करेगी। यदि वे ऐसा नहीं करती है, तो इस बारे में लोकपाल द्वारा अभातशिप को सूचित किया जाएगा।

(9) शिकायत के निवारण तथा प्रभावित पक्ष को आवश्यक राहत देने के लिए, लोकपाल अपनी कार्यवाही के निष्कर्ष के तौर पर, कारणों सहित उचित समझे जाने वाले आदेश पारित कर सकेगा।

(10) खण्ड (9) के अन्तर्गत प्रत्येक आदेश, लोकपाल के हस्ताक्षर से पीड़ित व्यक्ति तथा संस्था को दिया जाएगा तथा ऐसे आदेश तकनीकी संस्था की वेबसाईट पर भी डाले जाएगें।

(11) तकनीकी संस्था के लिए यह अपेक्षित होगा कि वह लोकपाल के आदेशों का अनुपालन करे।

(12) लोकपाल के ऐसे किसी आदेश का संस्था द्वारा अनुपालन न किये जाने पर, परिषद् द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली कार्रवाई हेतु, अभातशिप को सूचित किया जाएगा।

(13) शिकायत पीड़ित विद्यार्थी, उसके माता–पिता अथवा लोकपाल की विशेष अनुमति प्राप्त करके किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जा सकती है।

(14) झूठी/निराधार शिकायत के मामले में लोकपाल शिकायतकर्ता के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई हेतु आदेश दे सकता है।

(15) सिद्धान्तों एवं प्रक्रिया की उपरोक्त रूप रेखा, निम्नलिखित को छोड़कर, तकनीकी संस्थान में शिकायत निवारण समिति की कार्य प्रणाली पर लागू होगी :–

(क) एकमतता के अभाव में, शिकायत समिति बहुमत के आधार पर निर्णय ले सकती है;

(ख) शिकायत समिति शिकायत प्राप्त होने के दस दिन के भीतर अपना निर्णय सूचित करेगी।

6. विश्वविद्यालय तथा संबंधित तकनीकी संस्था अपनी विवरणिका में शिकायत निवारण तंत्र के प्रावधानों, लोकपाल तथा विद्यार्थियों के अधिकारों और कर्त्तव्यों के विषय मे प्रमुखता से विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाएगी।

7. **अनुपालन न किये जाने के परिणाम :**

परिषद् द्वारा ऐसी किसी भी तकनीकी संस्था के संबध मे निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती हैं, जो जानबूझकर लोकपाल के आदेशों का अनुपालन नहीं करती अथवा अनुपालन करने में बार-बार असफल रहती है, यथा :

(क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं का अनुमोदन) विनियम, 2010 तथा परिषद् द्वारा इसमें समय-समय पर संशोधित अथवा परिवर्तित किए गए प्रावधानों के अधीन तकनीकी संस्था को प्रदान किए गए अनुमोदन की वापसी अथवा कोई अन्य कार्रवाई अथवा जुर्माना ;

(ख) परिषद् द्वारा प्रदान की गई फिटनैस की घोषणा को वापस लेना अथवा अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्रता अथवा परिषद् द्वारा दिए जाने वाली वित्तीय सहायता को वापस लेना ;

(ग) तकनीकी संस्था को आबंटित किए गए किसी अनुदान को रोकना ;

घ) परिषद् के वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले किसी भी सामान्य अथवा विशिष्ट कार्यक्रमों हेतु विचार करने के लिए तकनीकी संस्था को अपात्र घोषित करना ;

(ड़) प्रवेश के लिए संभावित विद्यार्थियों सहित जन साधारण को समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से नोटिस प्रकाशित करके अथवा अन्य उपयुक्त संचार माध्यम से तथा परिषद् की वेबसाईट/वेबपोर्टल पर घोषणा करके यह सूचित करना कि तकनीकी संस्था के पास शिकायत निवारण हेतु न्यूनतम मानक उपलब्ध नहीं हैं ;

(च) संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को संस्था की संबद्धता वापस लेने हेतु सिफारिश करना ;

(छ) राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित अथवा निगमित तकनीकी विश्वविद्यालय के मामले में संगत राज्य सरकार को उसके द्वारा प्रदान किए गए उक्त विश्वविद्यालय के दर्जे को वापस लेने की सिफारिश करना ;

(ज) परिषद् को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत, इन विनियमों के प्रावधानों के अनुपालनार्थ, परिषद् तकनीकी संस्था पर उपयुक्त समझी जाने वाली ऐसी ही अन्य कोई कार्रवाई कर सकती है तथा उस विशिष्ट समयावधि के दौरान अभातशिप अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अधीन ऐसे ही अन्य जुर्माने लगा सकती है :

परंतु संस्था को अपनी स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किये बिना तथा संस्था को सुनवाई का अवसर दिये बिना, अभातशिप द्वारा इस खंड के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

8. ये विनियम, तकनीकी, चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में अनुचित कार्यों पर रोक लगाने हेतु अधिनियम के लागू होने पर उपलक्षित रूप में निरसित होंगे।

डॉ. के. पी. आईजैक, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/4/131/12/असा.]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2012

All India Council for Technical Education (Establishment of Mechanism for Grievance Redressal) Regulations, 2012

F. No. 37-3/Legal/2012.— In order to ensure transparency by Technical institutions imparting technical education, in admissions and with Paramount Objective of preventing unfair practices and to provide a mechanism to innocent students for redressal of their grievances, In exercise of the power conferred under Clause 1 of Section 23 of the All India Council for Technical Education, Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education makes the following Regulations, namely :

1. **SHORT TITLE, APPLICATION AND COMMENCEMENT :**

(1) These regulations may be called the All India Council for Technical Education (Establishment of Mechanism for Grievance Redressal) Regulations, 2012.

(2) They shall apply to every Technical Institution recognized or approved by the All India Council for Technical Education under the All India Council for Technical Education Act, 1987.

(3) They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **DEFINITION :**

(1) In these regulations unless the context otherwise requires –

a) "Act" means the All India Council for Technical Education Act, 1987;

b) 'Aggrieved student' means a student who has any complaint in the matters concerned with the grievances as defined under these regulations;

c) "College" means any institution, whether known as such or by any other name, which provides for a course of study for obtaining any qualification from a university and which, in accordance with the rules and regulations of such university, is recognized as competent to provide for such course of study and present students undergoing such course of study for the examination for the award of such qualification;

d) "Council' means the All India Council for Technical Education;

e) "Declared Admission Policy" means such policy for admission to a course or programme of study as may be approved or recognized by

the Council and offered by the institution and published in such manner as the council may specify;

f) 'Grievances' may include the following complaints of the aggrieved students namely –

(i) making admission contrary to merit determined in accordance with the declared admission policy of the institute;

(ii) irregularity in the admission process adopted by the institute;

(iii) refusing admission in accordance with the declared admission policy of the institute;

(iv) withhold or refuse to return any document in the form of certificates of degree, diploma or any other award or other document deposited with it by a person for the purpose of seeking admission in such institution, with a view to induce or compel such person to pay any fee or fees in respect of any course or programme of study which such person does not intend to pursue;

(v) demand of money in excess of that specified in the declared admission policy or approved by the competent authority to be charged by such institution;

(vi) breach of the policy for reservation in admission as may be applicable;

(vii) complaints of alleged discrimination by students from Scheduled Caste, Scheduled Tribes, OBC, women, minority or disabled categories;

(viii) non payment or delay in payment of scholarships to any students that such institution is committed, under the conditions imposed by AICTE, or by any other authority;

(ix) delay in conduct of examinations or declaration of results beyond that specified in the academic calendar;

(x) on provision of student amenities as may have been promised or required to be provided by the institution;

(xi) denial of quality education as promised at the time of admission or required to be provided;

(xii) non transparent or unfair evaluation practices;

(xiii) harassment and victimization of students including sexual harassment; and

(xiv) refund of fees on withdrawal of admissions as per AICTE instructions from time to time.

g) 'Grievance Redressal Committee' means a Committee constituted under these Regulations;

h) "institution" for the purposes of these Regulations, means, college or institution as the case may be;

i) "Ombudsman" means such Ombudsman appointed under sub-clause (1) of clause (3) of these Regulations;

j) "Technical education" means programs of education as defined under section 2[g] of the All India Council for Technical Education, Act, 1987;

k) "Technical Institution" means an Institution as defined under section 2[h] of the All India Council for Technical Education, Act, 1987;

l) "University" means a university established or incorporated by or under a Central Act or State Act and includes an institution deemed to be university declared as such under section 3 of the UGC Act 1956.

3. APPOINTMENT, TENURE, REMOVAL AND CONDITIONS OF SERVICES UNDER REDRESSAL MECHANISM

1 . i) Each Technical University shall appoint an Ombudsman for redressal of grievances of students under these regulations.

ii) The Ombudsman shall be a person who has been a judge not below the rank of a District Judge or a Retired Professor who has at least 10 years experience.

iii) The Ombudsman shall not, at the time of appointment, during one year before appointment, or in the course of his tenure as ombudsman, be in a conflict of interest with the university where his personal relationship, professional affiliation or financial interest may compromise or reasonably appear to compromise, the independence of judgement toward the university.

iv) The Ombudsman, or any member of his immediate family shall not :
   a) hold or have held at any point in the past, any post, employment in office of profit in the University,
   b) have any significant relationship including personal, family, professional or financial, with the university,
   c) hold any university position, called by whatever name, under the administration or governance structure of the university.

v) The Ombudsman in a State Technical University shall be appointed by the University on a part time basis from a panel of three names suggested by the search committee consisting of the following members :
   a) Nominee of the Governor of concerned State - Chairman
   b) Two Vice Chancellors by rotation from Public Universities of the State concerned
   c) One Vice Chancellor by rotation from Private Universities of the State concerned
   d) Secretary (Higher Technical Education) of the State concerned- Convenor

vi) The Ombudsman in a Central Technical University shall be appointed by the Central Technical University concerned on a part time basis

from a panel of three names suggested by the search committee consisting of the following members:

a) Chairman AICTE - Chairman
b) One Vice Chancellor from Central Technical Universities by rotation
c) Joint Secretary Higher Technical Education, MHRD, Government of India
d) Member Secretary AICTE - Convenor

vii) The Ombudsman shall be a part time officer appointed for a period of three years or till 70 years of age whichever is earlier from the date he resumes the office and may be reappointed for another one term in the same university.

viii) Ombudsman shall be paid a consolidated fees of Rs. 3000 to 5000 per hearing, in addition to the conveyance

ix) The Ombudsman may be removed on charges of proven misconduct or misbehavior by the concerned appointing authority:

x) Provided that no order of removal shall be passed except after an inquiry made in this regard by a person not below the rank of High Court Judge in which such Ombudsman has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges.

2. In case of Technical Institution, the Vice Chancellor of the affiliating university shall constitute a grievance redressal committee consisting of five members for an individual Technical Institution or a group of Technical Institutions, keeping in view the location of the Technical Institution(s) concerned.

4. **POWERS AND FUNCTIONS OF OMBUDSMAN :**

(1) The Ombudsman shall exercise its powers to hear any grievance –

(i) of any student against the university or institution affiliated to it or an institute, as the case may be, after the student has availed of remedies available in such institution for redressal of grievance; and
(ii) of any applicant for admission as student to such institution.

(2) No application for revaluation or remarking of answer sheets shall be entertained by the Ombudsman unless specific irregularity materially affecting the outcome or specific instance of discrimination is indicated.

(3) The Ombudsman shall have power to seek the assistance of any person belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Socially and economically backward classes (SEBC) minority or disabled category, as amicus curiae, for hearing complaints of alleged discrimination.

5. PROCEDURE IN REDRESSAL OF GRIEVANCES :

(1) Each Technical institution shall establish a registry, headed by an employee of the institute of appropriate rank as the Ombudsman may decide, where an aggrieved student or person may make an applicant seeking redressal of grievance.

(2) The address of the registry so established shall be published widely including on the notice board and prospectus and placed on the website of the institution.

(3) On receipt of an application by the registry, the employee-in-charge shall inform the Ombudsman and shall immediately provide a copy to the institution for furnishing its reply within seven days.

(4) The Ombudsman shall fix a date for hearing the complaint which shall be communicated to the institute and the aggrieved person either in writing or electronically, as may be feasible.

(5) An aggrieved person may appear either in person or represented by such person as may be authorized to present his case.

(6) The Ombudsman shall be guided by principles of natural justice while hearing the grievance.

(7) The Ombudsman shall ensure disposal of every application within one month of receipt for speedy redress of grievance.

(8) The Technical institution shall be expected to co-operate with the Ombudsman in redress of grievances and failure to do so may be reported by the Ombudsman to AICTE.

(9) On the conclusion of proceedings, the Ombudsman shall pass such order, with reasons for such order, as may be deemed fit to redress the grievance and provide such relief as may be desirable to the affected party at issue.

(10) Every order under clause (9), under the signature of the Ombudsman, shall be provided to the aggrieved person and the institution and shall be placed on the website of the Technical institution.

(11) The Technical institution shall comply with the order of the Ombudsman.

(12) Any order of the Ombudsman not complied with by the institution shall be reported to the AICTE for appropriate action as deemed fit by the Council.

(13) A complaint shall be filed by the aggrieved student, his / her parent or with a special permission from the ombudsman, by any other person.

(14) In case of any false/frivolous complaint, the ombudsman may order appropriate action against the complainant.

(15) The principles and procedures outlined above shall apply to the working of the Grievance Redressal Committee in the Technical Institute except

(a) in case of lack of unanimity, the Grievance Committee shall take decisions by majority;

(b) the Grievance Committee shall communicate its decisions within ten days of receipt of complaint.

6. The University and the Technical Institution concerned shall provide detailed information regarding provisions of grievance redressal mechanism, ombudsman and the duties and rights of students in their prospectus prominently.

7. **CONSEQUENCES OF NON-COMPLIANCE :**

The Council shall in respect of any Technical Institution that willfully contravenes or repeatedly fails to comply with orders of the Ombudsman, may proceed to take one or more of the following actions, namely;

(a) Withdraw the approval granted to the Technical Institution or any other action or penalty as provided under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulation, 2010 as modified or amended by the Council from time to time;

(b) withdrawal of declaration of fitness or entitlement to receive grants or financial assistance from the Council;

(c) withholding any grant allocated to the Technical institution;

(d) declaring the Technical institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programmes of the Council;

(e) informing the general public, including potential candidates for admission, through a notice displayed prominently in the newspapers or other suitable media and posted on the website/web portal of the Council, declaring that the Technical Institution does not possess the minimum standards for redressal of grievances;

(f) recommend to the affiliating university for withdrawal of affiliation;

(g) recommend to the appropriate State Government for withdrawal of status as university in case of a Technical university established or incorporated under a State Act;

(h) taking such other action within its powers as the Council may deem fit and impose such other penalties as may be provided in the Act for such duration of time as the Technical institution complies with the provisions of these Regulations :

Provided that no action shall be taken by AICTE under this clause unless the technical institution has been asked to explain its position and opportunity of being heard has been provided to it.

8. These regulations shall stand impliedly repealed on coming into force of the Prohibition of Unfair Practices in Technical, Medical Educational Institutions and Universities Act.

Dr. K. P. ISAAC, Member Secy.

[ADVT. III/4/131/12/Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054